किराया नामा

(1) श्री आदि जैन पुत्र श्री गौरव जैन, उम्र—19 वर्ष, निवासी—50, ग्राउण्ड फ्लोर, जापुरिया एन्कलेव कौशाम्बी, पेसिफिक माल के सामने, आई.ई.साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश 201010 (2) Sparsh acharya C/o Smita Acharya, Age-19 Year Address-House No-2, Kolar Road, Near Shiv Sweets, Mahabali Nagar, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh-462042 के रहने वाले हैं, जो इस किरायानामा में किरायेदार— प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किये गये है, जिसमें हम / हमारे उत्तराधिकारी, स्थानापन्न आदि सभी सम्मिलित समझे जावें।

बहक

श्रीमती प्रिंयका राजावत पत्नि श्री कुलदीप सिहं चुण्डावत, उम्र—33 वर्ष, जाति—राजपूत, निवासी— हाउस नं.—1, रामदास कॉलोनी, नियर पंचायत समिति, कालवाड रोड़, जिला—जयपुर (2262 8729 3847) राजस्थान—302012 प्रान्त की रहने वाली हैं, जो कि इस किरायानामा में सम्पति/मकान/फ्लैट मालिक— द्वितीयपक्ष के नाम सम्बोधित किया गया है, जो कि दोनों पक्षों के मध्य यह किरायानामा निष्पादित किया गया है :—

- 1. यह कि द्वितीयपक्ष सम्पित मालिक के स्वामित्व व अधिकार की सम्पित्त / प्लॉट नं. —59, जिसमें फ्लैट नं.—102, तेजस्वी ग्रीन कॉलोनी, नियर मणीपाल युनिर्वसिटी, दहमीकलां, तहसील—सांगानेर, जिला—जयपुर, राजस्थान—303007 प्रान्त में स्थित है। जिसमें से 02 कमरा, 01 किंचन व 01 लेटबॉथ को प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा दिनांक 01/08/2024 से 11 माह के लिए उक्त सम्पित्त को किराये पर लिया हैं जिसका किरायानामा आज दिनांक 03/08/2024 को लिखा गया हैं।
- यह कि किरायेदार प्रथमपक्ष ने रिनग माह का किराया अंके-18,000/- अक्षरे 2. अठारह हजार रूपयें एवं तीन माह की सिक्युरिटी राशि अंके-54,000 / -रूपयें अक्षरे चौवन हजार रूपयें मालिक को दिये है जिसमें 36,000 / – रूपयें अक्षरे छत्तीस हजार रूपयें अन्तिम दो माह के किराये में समायोजित किया जावेगा तथा शेष रही 18,000 / –रूपये अक्षरे अटारह हजार रूपयें बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा। प्रत्येक माह का किराया राशि अंके-18,000 / -रूपयें हैं, 01 से 10 तारीख के मध्य अदा किया जावेगा। बिजली का खर्चां प्रथमपक्ष के द्वारा अलग से देय होगा। यह कि 01 एल.ई.डी. **टी.वी (40 इंच)**, 02 पंखे, 01 एसी, बैड मैटरेज—1 सेट, 3. 02-साईड टेबल, 01-सेन्टर टेबल, 02 सिंगल सौफा, 01-इनडक्शन (रेपीडो क्वीट), 01 फ्रिज, 01 आरो, पर्दे-02 इत्यादि सही व दुरूस्त हालत में दिया गया है। जिसे प्रथमपक्ष किरायेदार उपयोग के दौरान किसी प्रकार की कोई खराबी टूट/फुट इत्यादि होती हैं तो उसे सही करवाकर या नया देने की जिम्मेदारी स्वंय किरायेदार की होगी मालिक किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा जो कि दोनो पक्षों की सहमति से तय हुआ है।
- 3. यह कि उक्त फ्लेट मैंन—डोर की चाबी यदि गुम जो जाती है तो उसका 2500 / -रूपयें अलग चार्जेबल होगा जो किरायेदार द्वारा भुगतान किया जावेगा।
- 4. यह कि दीवारों में कील या अन्य किसी प्रकार की पेन्टीग इत्यादि को नहीं लगाया जायेगा ताकि दीवार खराब ना हो सके यदि ऐसा करना पाया जाता है तो उसके लिए किरायेदार जिम्मेदार होगें उसे सही करवाकर देने के लिए जिसमें किरायेदार किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं करेंगें।

- 5. यह कि प्रथम किरायेदार ने किरायेशुदा फ्लेट का कब्जा सही एवं दुरूस्त अवस्था में प्राप्त कर लिया जिसे किरायेदार सही अवस्था में रखेगें। उपयोग के दौरान किसी प्रकार की तोड—फोड या रदोबदल नहीं करेंगें। किरायेदार द्वारा किसी प्रकार का नुकसान / टूट—फुट होगी तो उसे किरायेदार स्वयं अपनी धन राशि से सही करवाकर देगें जिसकी जिम्मेदारी प्रथमपक्ष किरायेदर की होगी।
- 6. यह कि उक्त सम्पत्ति परिसर में प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा रहवास हेतू उपयोग में लिया जावेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की रिश्क अपराधिक प्रकरण या किसी प्रकार का कोई सरकार द्वारा क्लेम या कानून की नजरों में यदि यह कार्य अवैध पाया जाता है, न्यूसेंस, लडाई—झगडा, विवाद, अनेतिक कार्य एवं कोई व्यवसायिक गतिविधि गया नहीं करेगें से मालिक को या आस—पडोस के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो यदि ऐसा करेगा तो मालिक को समय से पहले उक्त फ्लेट खाली करवाने का पूर्ण अधिकार हो एवं जो भी दिया गया एंडवाश / सिक्युरिटी जब्त मानी जायेगा और इससे सम्पत्ति मालिक पर किसी प्रकार का दावा आता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मुझ प्रथमपक्ष किरायेदार की होगी।
- 7. यह है कि किरायेदार प्रथमपक्ष किरायेशुदा फ्लैट पर बिना मालिक की अनुमित के कोई दस्तावेज नहीं बनायेगें एवं किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं करेंगें यदि ऐसा करेगे तो मालिक को तुरन्त प्रभाव से किरायेशुदा फ्लैट को खाली करवाने, दस्तावेज निरस्त करवाने एवं कानूनी कार्यवाही करवाने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 8. यह है कि अगर प्रथमपक्ष 11 माह से पूर्व फ्लैट को खाली किया जाता है तो द्वितीयपक्ष के द्वारा सिक्युरिटी / एंडवाश राशि वापस नही लौटाया जायेगां। जिसमें किरायेदार की कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
- 9. यह द्वितीयपक्ष मालिक दिन के समय किरायेदार को सूचित करके एवं किरायेदार की उपस्थिति में किरायेशुदा फ्लैट का निरीक्षण कर सकेगें। जिसमें किरायेदार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगीं।
- 10. यह कि यदि प्रथमपक्ष किरायेदार का कोई भी पारिवारिक सदस्य (ब्लंड रिलेशन) के अलावा अन्य कोई मित्र/जान पहचान यदि 07 दिवस से अधिक रूकता है तो उसका अलग से प्रति व्यक्ति 3000/—रूपयें अक्षरे तीन हजार रूपयें प्रतिमाह का किराया भुगतान करना होगा।

- 11. यह कि मुझ प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा उक्त मकान में ऐसा कोई कार्य नही किया जावेगा। जिससे सम्पत्ति की साख को नुकसान पहुंचता हो। यदि कोई निर्माण कार्य या किसी प्रकार का फेरबदल किया जाता है तो उसमें सम्पत्ति मालिक की अनुमित लेकर इनकी सहमित से ही किया जा सकेगा।
- 12. यह कि उक्त सम्पित्त का द्वितीयपक्ष सम्पित्त मालिक को यह अधिकार होगा कि वह अपनी सम्पित्त को जरूरत पड़ने पर प्रथमपक्ष किरायेदार को एक माह पूर्व सूचना देकर खाली करवा सकेगा ।
- 13. यह कि यदि प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा समय पर उक्त मकान का किराया राशि समय पर भुगतान नहीं करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के खाली करवाया जा सकेगा। जिसके लिए किरायेदार पाबन्द है व रहेगा।
- 14. यह कि यदि उक्त मकान को प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा आगे किराये पर लिया जाता है तो मकान मालिक की सहमित लेकर 11 माह बाद दुसरा किरायानामा टाईप करवाकर लिया जावेगा। उक्त मकान प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा उक्त समयाविध में बिना किसी एतराज के खाली कर दिया जावेगा तथा द्वितीयपक्ष को संभला दिया जावेगा ।
- 15. यह कि किराया राशि में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की बढोतरी की जायेगी।
- 16. यह कि प्रथमपक्ष किरायेदार के द्वारा उक्त सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ सेबलेट नहीं किया जावेगा ।

यह कि यह किरायानामा हम दोनों पक्षकारों के द्वारा पुर्ण होश हवास में बिना किसी नशे पते के बिना किसी आग्रह के बिना किसी दाब दबाव के पढसुन सोच समझकर 500/— रूपये के ई—स्टाम्प पेपर व 03 सादा पेपरों पर लिख दिया है जो वक्त जरूरत काम आवे इति दिनांक—...........

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष किरायेदार		हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष –सम्पत्ति मालिक
1.	गवाहः– हस्ताक्षर	
	नाम—	
	निवासी—	
2.	गवाह:– हस्ताक्षर	
	नाम—	

निवासी—